राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.3(ग)ए.सी.पी. / 1992 सामान्य–II / अलेसे–II / 9713-18 दिनांकः–05.06.2013

कार्यालय आदेश संख्या ......89 / 2013–14

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.11 (7) एफडी / रूल्स / 2008 / दिनांक 12.09.08 एवं दिनांक 06.10.08 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परीक्षा उत्तीर्ण कर कार्यग्रहण किया था तथा जिन्होने 18 वर्ष एवं अधिक की राजकीय सेवा निरन्तर एवं संतोषजनक पूर्ण कर ली है को उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय ए.सी.पी. पी.बी.–2, 9300–34800 पे–बैण्ड एवं ग्रेड–पे 4200 स्वीकृत किया जाता है।

क्र.स.	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	जन्मतिथि	प्रथम कार्यग्रहण तिथि	ए.सी.पी. स्वीकृति दिनांक	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6
1.	बत्तूलाल मीणा	01.01.1967	08.03.1995	08.03.2013	
2.	शिवराम मीणा	25.05.1969	08.03.1995	08.03.2013	
3.	लखनलाल मीणा	16.06.1964	28.03.1995	28.03.2013	

उपरोक्त लेखाकारों के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ.14 (88) एफडी (नियम) 2008–I दिनांक 31.12.09 में दी हुई शर्तो के सम्बन्ध में संतोषजनक सेवा सम्बन्धी प्रमाण पत्र व सन्तान सम्बन्धी घोषणा प्राप्ति के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृत किया जाता है।

उपरोक्त क्र.सं. 1 सें 2 पर अंकित लेखाकार के वांछित वार्षिक कार्य–मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने के कारण वित्त विभाग के आदेश प.14 (88) वित्त / नियम / 08 दिनांक 27.07.12 द्वारा प्राप्त स्पष्टीकरण के आधार पर गत 9 वर्षो में से 7 वर्षो की एपीएआर व संतोषजनक सेवा एव प्रमाण पत्र प्राप्त होने के आधार पर उक्त ए. सी.पी. इस शर्त पर स्वीकृत किया जाता है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन मे प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्यमूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर ए.सी.पी. स्वीकृति के बारे मे निर्णय लिया जाकर तदानुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपरोक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.09.2008 के पैरा 19, आदेश दिनांक 06.10.2008 एवं एफ–14(88)एफडी(नियम) 2008–I दिनांक 31.12.2009 के अनुसार सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से सम्बन्धित लेखाकारो की सेवापुस्तिका में की जावे। वेतन निर्धारण से पूर्व सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि सम्बन्धित लेखाकार ए.सी.पी. स्वीकृत तिथि को राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) 2008 में पे–ग्रेड 3600 में वेतन प्राप्त कर रहे है तथा ए.सी.पी. स्वीकृति तिथि को इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच लम्बित नहीं है।

निदेशक

क्रमांकः– एफ.3(ग)ए.सी.पी. / 1992 सामान्य–II / अलेसे–II / 9713-18 दिनांकः– 05.06.2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष..................................
2. श्री..................................लेखाकार, कार्यालय..................................
3. निजी सहायक निदेशक महोदय।
4. निजी पत्रावली मूल आवेदन सहित / गार्ड फाईल / गोपनीय अनुभाग / कम्प्यूटर अनुभाग(वेबसाईट हेतु)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक– II)